

A3  
A2  
7

13/13

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (संतर्कता)  
श्रीगंगानगर

आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्राथी के पक्ष में किया गया है, रेफरेंसाधीन आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्राथी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपडित धारा 9 में रेफरेन्स किए जाने हेतु प्रकरण मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय की एक एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को भिजवाई जाकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे रफरेंस पेश करने हेतु निर्देशित किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (संतर्कता)  
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)

प्रकरण संख्या :-13/13

पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर .....प्रार्थी  
बनाम

श्री भैरा राम पुत्र श्री राम चन्द्र जाति कुम्हार निवासी 13 एच तहसील श्री करणपुर राज0  
..... अप्रार्थी

रेफरेंस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82

उपस्थित:-

1. राजकीय अधिवक्ता, राज्य पक्ष की ओर से
2. श्री मलकीयतसिंह नन्दा एडवोकेट अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26/5/17

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार श्री करणपुर द्वारा रेफरेंस विरुद्ध आदेश उपखण्ड एवं आवंटन अधिकारी श्री करणपुर दि. 31.07.1984 पेश किया गया कि आवंटन अधिकारी उप जिला कलक्टर श्री करणपुर द्वारा रकबा चक 13 एच के खसरा नम्बर 90 के 12 बीघा व खसरा नम्बर 91 के 86 बीघा गैर मुमकिन पायतन में से मु0 नं0 23 के किला नम्बर 1 से 5, 9,10 प्रत्येक 01 बीघा किला नम्बर 11 से 0.10 विस्वा प्रत्येक बीघा कुल तादादी 7.10 बीघा अलाट किया गया था। यह रकबा जोहड पायतन का होने के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के सन्दर्भ में आवंटन योग्य नहीं था। रेफरेंस सुनवाई की जाकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश निरस्त किये जाने हेतु प्रेषित किया जावे।

रेफरेंस पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीया को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर श्री मलकीयतसिंह नन्दा एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया व पैरवी की गई

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता द्वारा रेफरेंस प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को निर्देश प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया।

सुयोग्य अधिवक्ता श्री मलकीयतसिंह नन्दा का बहस में कथन है कि आराजी जेर बहस अप्रार्थी को नियमानुसार अलाट की गई थी। जिसे काफी मेहतन करके बंजड से नोतोड बनाया है। न्याय हित में रैफरेंस की सिफारिश को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का गौर पूर्वक अवलोकन किया गया। आवंटन अधिकारी श्री करणपुर द्वारा आवंटन अधिकारी उप जिला कलक्टर द्वारा अपने आवंटन आदेश दिनांक 31.07.1984 द्वारा जोहड का रकबा अप्रार्थी को आवंटन किया गया है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :-

Power to call for record and proceding and reference to state Government or Board.

प्रस्तुत रैफरेंस तहसीलदार, श्री करणपुर द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। उक्त धारा के अनुसार जिला कलक्टर अपने किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के अधिकारी जो उनके अधीनस्थ हैं, के रिकॉर्ड को मंगवाकर उसकी वैद्यता के सम्बन्ध में जांच कर सकते हैं। स्टेट द्वारा प्रस्तुत पटवारी की रिपोर्ट, जमाबंदी, नामान्तरण, भू-प्रबन्धन विभाग की जमाबन्दी के अनुसार जोहड दर्ज है। इंतकाल अनुसार जोहड स्वीकृत हुआ है।

उक्त भूमि की किस्म जोहड पायतन दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। ऐसी स्थिति में